

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्यदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक :- 19-11-15

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड-49P471101789580544, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष-2015-16 में निधि का आवंटन।

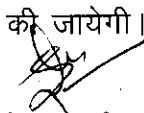
महाशय,

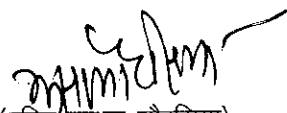
वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/ 01-बाढ़ नियंत्रण,	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण,	05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य / 49P471101789580544	464.93

आवंटित राशि - ₹ चार करोड़ चौसठ लाख तिरानबे हजार मात्र।

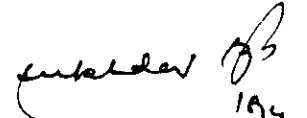
- आवंटित राशि वर्ष 2015-16 के बजट उपबंध कुल राशि रु. 528.00 लाख (पाँच करोड़ अठाइस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/ वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/ सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यर्पण कार्यवार, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।
- नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

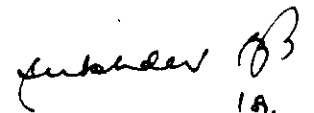
२४

रॉची, दिनांक :-

19-4-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/देवघर/साहेबगंज/राजमहल सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

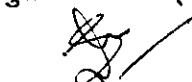
२४

रॉची, दिनांक :-

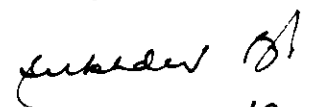
19-4-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त./सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....२४ दिनांक 19-4-15 का अनुलग्नक परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परियोजना

उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,

उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यो का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 44 लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49P471101789580544

वित्तीय वर्ष 15-16 में बजट उपबंध रु. 528.00 लाख (पाँच करोड़ अठाइस लाख) मात्र।

राशि लाख रुपये में

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2015 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा (RJMIR001)	देवघर	साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल बड़हरवा प्रखंड के फतेहपुर ग्राम में म०वि० फतेहपुर से सोहराब के घर तक कटाव निरोधक कार्य	58/14-15 दि०-21.10.14	93.450	0.00	0.00	94.10	94.10	8432	
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल बड़हरवा प्रखंड के महेशघाटी ग्राम में पूर्व में किये गये कार्य के बाद D/S से स्कूल तक कटाव निरोधक कार्य	59/14-15 दि०-21.10.14	70.160	0.00	0.00	73.62	73.62		
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल बड़हरवा प्रखंड के अगलोई ग्राम में पुल के गार्डवाल से कटाव निरोधक कार्य	60/14-15 दि०-21.10.14	53.690	0.00	0.00	55.46	55.46		
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल बड़हरवा प्रखंड के नकसामल ग्राम में सीढ़ी घाट से सुफियान के घर तक कटाव निरोधक कार्य	61/14-15 दि०-21.10.14	18.690	0.00	0.00	19.44	19.44		
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल बड़हरवा प्रखंड के श्रीकांत पाड़ा ग्राम में सादिक के घर से बदरूल के घर तक कटाव निरोधक कार्य	62/14-15 दि०-21.10.14	38.610	0.00	0.00	40.63	40.63		
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल बड़हरवा प्रखंड के नारायणपुर ग्राम में मोउदुर के घर से सीढ़ी घाट तक कटाव निरोधक कार्य	63/14-15 दि०-21.10.14	31.720	0.00	0.00	34.97	34.97		
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल बड़हरवा प्रखंड के यादव नगर ग्राम में पंचायत भवन के सामने से शमसुल के घर तक कटाव निरोधक कार्य	64/14-15 दि०-21.10.14	73.300	0.00	0.00	74.04	74.04		
			साहेबगंज जिलान्तर्गत गुमानी नदी से हो रहे कटाव स्थल बड़हरवा प्रखंड के छोटा चौदपुर ग्राम में मोउदुर के घर से सनाउल्ला के घर तक कटाव निरोधक कार्य	65/14-15 दि०-21.10.14	70.350	0.00	0.00	72.67	72.67		
योग							0.00	464.93	464.93		
आवंटित राशि - ₹ चार करोड़ चौसठ लाख तिरानबे हजार मात्र।											

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव